



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 142 /अकादमी/शोध/2011 भोपाल, दिनांक 31.1.11

अधिसूचना

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15-12-2010 में निर्णय लिया गया है कि संविदा शिक्षकों को शोध निदेशक के रूप में मान्य नहीं किया जावे । उक्त निर्णय के अनुक्रम में डॉ० शिपर्णा सक्सैना को सरोवर विज्ञान विषय में पत्र क्रमांक 773/अका/ दिनांक 26-8-09 तथा डॉ० कमलेश बोराना को प्राणीशास्त्र विषय में पत्र क्रमांक 772/अका/ दिनांक 26-8-09 के माध्यम से शोध निदेशक के रूप में नियुक्ति संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

(डॉ० बी० भारती)
उप-कुलसचिव, अकादमी

पृ० क्रमांक 143 /अकादमी/शोध/2011

भोपाल, दिनांक 31.1.11

प्रतिलिपि :-

- 1 डॉ० शिपर्णा सक्सैना एवं डॉ० कमलेश बोराना, बरकतउल्ला वि०वि०, भोपाल
- 2 समस्त कक्ष अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष, बरकतउल्ला वि०वि०, भोपाल
- 3 प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
- 4 कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक
- 5 प्रभारी वेब प्रकोष्ठ, गोपनीय कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(डॉ० बी० भारती)
उप-कुलसचिव, अकादमी